उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

23, अगस्त 2022

समक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 3396 सन 2019

मध्य- उत्तराखंड राज्य और अन्य। याचिकाकर्ता

(श्री योगेश तिवारी, स्थायी अधिवक्ता)

एवं

उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग

देहरादून और अन्य। उत्तरदाता ।

(श्री गणेश कांडपाल, प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता एवं श्री रामजी श्रीवास्तव, प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता)

निर्णय

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

"Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic."

पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्तगण को सुना।

2 यह रिट याचिका उत्तराखंड राज्य द्वारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।दिनांक 31.08.2018 के उक्त आदेश द्वारा, मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को सहायक शिक्षक, एल टी ग्रेड के पद पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।

3 तथ्य, जिन पर कोई विवाद नहीं है, वह यह है कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, मल्हान, देहरादून के माता-पिता शिक्षक संघ द्वारा दो व्यक्तियों, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2 और एक श्रीमती पुष्पा कथैत को 10वीं कक्षा तक छात्रों को विज्ञान में निर्देश देने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि सहायक शिक्षक, एल. टी. ग्रेड (विज्ञान) का एक पद 1997 से खाली पड़ा था। पीटीए शिक्षकों को अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा अपने स्रोतों से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता था।

4. उत्तराखंड सरकार ने ऐसे पीटीए शिक्षकों को पारिश्रमिक देने का निर्णय लिया, जिन्हें एक निश्चित तिथि तक शिक्षण पद पर एक मूल रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया था और जिनके पास ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता थी। नीतिगत निर्णय के संदर्भ में, राज्य के लिए ऐसे पीटीए शिक्षकों की एक सूची तैयार की गई थी, जिन्हें राज्य के खजाने से वेतन के भुगतान के लिए पात्र पाया गया था। इस सूची में 590 शिक्षकों के नाम थे, जिनमें प्रतिवादी संख्या 2 और श्रीमती पुष्पा कथैत भी शामिल थीं। चूंकि दोनों को एक ही रिक्ति के लिए पीटीए शिक्षक के रूप विरुद्ध नियुक्त किया गया था, इसलिए कोई भी व्यक्ति राज्य के खजाने से वेतन प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार, यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कौन राज्य के खजाने से मानदेय का हकदार होगा।

5. प्रतिवादी 2 को राज्य सरकार द्वारा कुछ समय के लिए वेतन प्रदान किया गया था, यद्यपि श्रीमती पुष्पा कथैत द्वारा की गई शिकायत पर, प्रतिवादी संख्या 2 को सरकारी खजाने से वेतन का भुगतान रोक दिया गया था।यह विवाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत करके उठाया गया था और आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को सहायक शिक्षक के पद पर नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 2 को नियुक्त करने का निर्देश दिया था। यह आदेश उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा 31.08.2018 को पारित किया गया था, जिसे राज्य सरकार द्वारा चुनौती दी गई है।

6 इस प्रकार, सरकारी खजाने से वेतन के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 और श्रीमती पुष्पा कथैत के बीच एक विवाद थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने तर्क दिया कि चूंकि उसे समय से पहले नियुक्त किया गया था, इसलिए वह अकेले वेतन का हकदार है, जबकि श्रीमती पुष्पा कथैत के अनुसार, वह राज्य के खजाने से वेतन के लिए बेहतर दावा करती है, क्योंकि वह सहायक शिक्षक एल टी ग्रेड के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य है, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 योग्य नहीं है, क्योंकि उसके पास 2003 में अपनी नियुक्ति के समय बी. एड. डिग्री नहीं थी। इस प्रकार, विवाद यह था कि दोनों व्यक्तियों में से किसका सरकारी खजाने से वेतन के लिए बेहतर दावा है।

7. इस न्यायालय के विनम्र मत में, कानून द्वारा प्रदत्त न्याय करने की शक्ति के अभाव में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा इस तरह के विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता था। वैसे भी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का एक पहलू यह है कि किसी की भी अनसुनी निंदा नहीं की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में मुकदमा तय करते समय आयोग द्वारा श्रीमती पुष्पा कथैत को नहीं सुना गया ।

8. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 के अनतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) आयोग के कार्यों को निर्धारित करती है, जबकि धारा 9 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।धारा 9 की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि आयोग को उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (घ) में उल्लिखित किसी भी कार्य का निष्पादन करते समय वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी।धारा 9 की उपधारा (1) में प्रगणित आयोग के कार्य नीचे दिए गए हैंः

"" "."आयोग के कार्य(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:- -

(क) उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना

(ख) संविधान और राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानूनों में अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी करना.

(ग) सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना.

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों के वंचन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन कराना और उन्हें दूर करने के उपायों की सिफारिश करना।

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना।

(छ) सरकार द्वारा किए जाने वाले किसी भी अल्पसंख्यक के संबंध में उचित उपाय सुझाना।

(ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी मामले और विशेष रूप से उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को आवधिक या विशेष रिपोर्ट देना. और

(i) कोई अन्य मामला जो सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए.

9. यद्यपि, धारा 9 की उपधारा (3) से आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं, यद्यपि उन शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति को समन करने और उपस्थित कराने के लिए किया जाना चाहिए जो किसी ऐसे दस्तावेज की खोज और पेश किए जाने की अपेक्षा करता है जो किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करते हुए शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करता है और जिसकी प्रति गवाहों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए या किसी अन्य मामले के लिए, जो विहित किया जाए, कमीशन जारी करता है। यद्यपि उपर्युक्त अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि आयोग के पास दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा विवादित दावों का निर्णय करने की कोई शक्ति नहीं है।

10. आयोग को अल्पसंख्यकों की प्रगति/विकास का मूल्यांकन करने, संविधान में अल्पसंख्यकों के संबंध में सुरक्षा उपायों के कार्य की निगरानी करने और ऐसे सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है। यद्यपि अधिनियम आयोग को दो या अधिक प्राइवेट व्यक्तियों के बीच वाद का विनिश्चय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, आयोग न तो विवादित तथ्यों या प्रतिद्वंद्वी दावों पर निर्णय करने के लिए न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।यह स्थिति।यह अधिनियम की धारा 9

(2) से स्पष्ट होता है, जिसमें यह प्रावधान है कि आयोग सिफारिशें कर सकता है, जो यद्यपि राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगी।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस. आर. टेंडोलकर के मामले में जांच आयोग अधिनियम, 1952 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर विचार करते हुए ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

> "."8..... आयोग को ऐसा कोई आदेश पारित करने के अर्थ में न्यायनिर्णयन की कोई शक्ति नहीं है जिसे उचित रूप से लागू किया जा सके।प्राधिकारियों पर ऐसे विनिश्चय के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए जिसका स्वयं कोई बल नहीं है और कोई दंडात्मक प्रभाव नहीं है और ऐसा विनिश्चय जो तुरंत प्रवर्तनीय हो जाता है या जो किसी कार्रवाई द्वारा प्रवर्तनीय हो सकता है।इसलिए, जैसा प्रश्न आयोग का संबंध है, उसे लागू करने की शक्ति के बिना मात्र जांच करना और अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को अभिलेख करना है, जांच या रिपोर्ट को न्यायिक जांच के रूप में इस अर्थ में नहीं देखा जा सकता है प्रश्न यह न्यायिक कार्य का उचित रूप से तथाकथित प्रयोग है और इसके परिणामस्वरूप संसद या भारत संघ के न्यायिक अंगों की शक्तियों की सरकार द्वारा इस मामले के तथ्यों पर और अमेरिकी संविधान द्वारा और उसके से व्यक्त रूप से प्रदान की गई शक्तियों के श्रेणीबद्ध पृथक्करण पर आधारित अमेरिकी अधिकारियों की विस्तृत चर्चा हमें प्रतीत होती है, पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक और अनावश्यक है और हम वर्तमान अवसर पर, इस बारे में कोई मत व्यक्त करने के लिए नहीं कहते हैं प्रश्न क्या हमारे संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के विशिष्ट उपबंध के अभाव में भी, जैसा प्रश्न अमेरिकी संविधान के कुछ विभाजन के से है, और फिर भी हमारे विधायी शक्तियों-यह हमारे संविधान में निहित है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह विचार करना भी आवश्यक नहीं है कि यदि अधिनियम समुचित सरकार को न्यायिक शक्तियों के साथ जांच आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान करता है तो क्या ऐसी विधि को, निःसंदेह, संविधान के अन्य उपबंधों से रहते हुए, इन दो प्रविष्टियों के साथ पठित न्यायालयों के गठन को प्राधिकृत करते हुए, सूची-I या सूची-III की किसी प्रविष्टि से बनाए गए कानून के रूप में समर्थित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक विधान कई प्रविष्टियों पर आधारित हो सकता है।

12. इस मामले में श्रीमती पुष्पा कथैत और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा राज्य के खजाने से मानदेय प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी दावे किए गए थे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई शिकायत पर इस तरह की याचिका पर फैसला नहीं कर सकता था। इस प्रकार, आयोग द्वारा अपनी शक्तियों के दायरे के बाद बाहर जाकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

13. अन्यथा भी, श्रीमती पुष्पा कथैत को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले आयोग द्वारा नहीं सुना गया था, हालांकि उनका हित इस मामले में महत्वपूर्ण रूप से शामिल था।

14. उपरोक्त कारणों से, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिनांक 31.08.2018 को पारित आदेश को कानून की नजर में नहीं रखा जा सकता है।

15. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 31.08.2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 को विवाद के समाधान के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जाने की स्वतंत्रता होगी।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)

असवाल